[2019] 16 एस. सी. आर 1259

दिल्ली विश्वविद्यालय

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(सिविल अपील सं। 9488-9489 2019 का)

17 दिसंबर, 2019

[आर. भानुमति, ए. एस. बोपन्ना और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

विलम्ब/विलंबः

लिखित याचिका-दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा-दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के उपयोग में बदलाव को चुनौती-याचिका

देरी और विलंब के आधार पर खारिज-916 दिनों की देरी के बाद दायर लेटर पेटेंट अपील-डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया

अपील, देरी को माफ करने से इनकार करने में देरी के आधार पर-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः मामले के तथ्यों में, अत्यधिक देरी के लिए स्पष्टीकरण आश्वस्त करने वाला नहीं है क्योंकि यह उचित नहीं है-विरोधी पक्ष के अर्जित अधिकार को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की देरी की माफी जनहित के विपरीत होगी इसलिए, रिट याचिका के साथ-साथ एल. पी. ए. को देरी के आधार पर सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

देरी की निंदा-इसके लिए मानदंड-आयोजितः मोटे तौर पर माफी के मामले में एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए

देरी-देरी को माफ करने के लिए विचार सरकार या सार्वजनिक निकाय जैसे पक्ष की स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा-लंबे समय तक देरी का दंड स्वतः नहीं होना चाहिए-जबकि

देरी की क्षमा पर विचार करते हुए, नियमित स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह देरी को सही ठहराने के लिए पर्याप्त कारण का संकेत देने की प्रकृति में होना चाहिए जो प्रत्येक मामले की पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. मोटे तौर पर, देरी को माफ करने के मामले में एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। के लिए विचार विलम्ब की क्षमा सरकार या सार्वजनिक निकायों जैसे पक्षकार की स्थिति पर निर्भर नहीं करेगी ताकि एक अलग मानदंड लागू किया जा सके, लेकिन अंतिम विचार पक्षकारों को समान रूप से न्याय प्रदान करना होना चाहिए। ऐसे मामले में भी लंबी देरी की माफी स्वचालित नहीं होनी चाहिए क्योंकि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपार्जित अधिकार या विपरीत पक्ष के लिए प्रतिकूल परिणाम

इसे भी परिप्रेक्ष्य में रखा जाना चाहिए। उस पृष्ठभूमि में देरी की क्षमा पर विचार करते समय, नियमित स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन यह देरी को सही ठहराने के लिए "पर्याप्त कारण" का संकेत देने की प्रकृति में होना चाहिए जो प्रत्येक मामले की पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा और इसे सावधानीपूर्वक तौलना होगा

तथ्य स्थिति के आधार पर न्यायालय। [पैरा 20] [1274-एच; 1275 ए-सी] 2. एल. पी. ए. दाखिल करने में तत्काल तथ्यों में देरी 916 दिनों की है और इस तरह माफी पर विचार केवल तभी किया जा सकता है जब उचित स्पष्टीकरण हो और माफी केवल इसलिए नहीं हो सकती कि अपीलकर्ता सार्वजनिक निकाय है। पूरी व्याख्या, कानून की स्थिति से अवगत होने के बावजूद सीमा के कानून की परवाह किए बिना आकस्मिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसके अलावा जब इतनी लंबी देरी होती है और कोई उचित नहीं होता है

स्पष्टीकरण, अपील दायर करने से पहले एक पक्ष जिस तरह से आगे बढ़ा है, उस पर ध्यान देते हुए लाचेस भी काम में आ जाएंगे। इसके अलावा, पहली बार में ही रिट याचिका दायर करने में देरी हुई थी जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न हुई थी। [पैरा 21] [1275-ई-एफ]

3. 916 दिनों की अत्यधिक देरी के लिए पूरी व्याख्या दोगुनी है, अर्थात सेवानिवृत्ति के कारण कुलपति की अनुपलब्धता और बाद में नए कुलपतियों की नियुक्ति।

कुलाधिपति ने यह भी कहा कि मामला कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा गया था और अपील दायर करने का निर्णय लिया गया था और उक्त प्रक्रिया के कारण देरी हुई थी। जैसा कि कहा गया है, कारण बहुत आश्वस्त करने वाले नहीं लगते हैं क्योंकि स्थिति इसका लाभ उठाने की थी अपीलीय उपचार, न कि मूल कार्यवाहियों के लिए जिसमें इस तरह के विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है, जबकि यह केवल उन कार्यवाहियों की निरंतरता थी जो उचित विचार-विमर्श के बाद अपीलार्थी की ओर से पहले ही दायर की जा चुकी थीं। उल्लेखनीय है कि कुलपति, जो रिट याचिका दायर किए जाने, मुकदमा चलाए जाने और निपटारे के समय शीर्ष पर थे, लगभग छह महीने तक उसी कार्यालय में उपलब्ध थे, जो अपील दायर करने के लिए 30 दिनों की सीमा अवधि की तुलना में काफी लंबी अवधि थी। उस परिस्थिति में जब रिट याचिका पर मुकदमा चलाने वाले उक्त कुलपति उपलब्ध थे, तो अपीलार्थी का यह निवेदन भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अनदेखे हाथों से अपील दायर करने में बाधा आई होगी। दूसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के बारे में कारण सामने रखने की मांग की गई।

भारत और ओआरएस का संघ।

कार्यकारी परिषद भी स्वीकार्य नहीं है जब यह केवल अपील दायर करने का मामला था। वास्तव में, रिट याचिका में प्रस्ताव No.56 और अकादमिक अधिनियम के 173 का उल्लेख करते हुए एक हलफनामा दायर किया गया था। रिट याचिका दायर करने के लिए प्राधिकृत करने वाली परिषद और कार्यकारी परिषद। जब रिट याचिका ऐसे प्राधिकरण और अपीलार्थी के रुख के आधार पर दायर की गई थी, जैसा कि रिट याचिकाकर्ता को सामने रखा गया था और वह रिट याचिका में विफल रहा था, तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी सभी साधनों के साथ अपील दायर करने में असमर्थ था, वह भी जब वही कुलपति रिट याचिका खारिज होने के बाद छह महीने के लिए उपलब्ध थे।

इसलिए सामने रखे गए कारण पर्याप्त कारण नहीं हो सकते हैं। [पैरा 22] [1275-एच; 1276-ए-ई] 4. इसके अलावा, कार्यकारी परिषद से मंजूरी 28.02.2017/07.03.2017 पर प्राप्त की गई थी, अपील अंततः थी

उक्त तिथि से एक वर्ष के बाद 01.03.2018 पर दायर किया गया जो केवल आकस्मिक दृष्टिकोण को इंगित करता है जो अब अपेक्षित है।

वहाँ होने के बावजूद सार्वजनिक हित की याचिका के साथ दूर

हर स्तर पर देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह सच है कि हर दिन की देरी को इतनी सटीकता के साथ समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि एक उचित और स्वीकार्य व्याख्या बहुत अधिक है।

बहुत आवश्यक है। [पैरा 23] [1276-एफ-जी]

5. वर्तमान मामले में, भूमि को 2005 में आवासीय उपयोग में परिवर्तित कर दिया गया था और प्रतिवादी No.11-DMRC ने

आमंत्रित बोलियां और सार्वजनिक नीलामी 28.07.2008 पर आयोजित की गई थी, जिसने भूमि को आवासीय में बदलने के तथ्य के बाद पहली बार अपीलार्थी को जागृत किया होगा।

विकास सार्वजनिक क्षेत्र में था, भले ही यह माना जाए कि

लच्छों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। [पैरा 27] [1277-जी-एच; 1278-ए] 7. हालांकि यह तर्क दिया गया है कि देरी को माफ करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें जनहित शामिल है, [2019] 16 एस. सी. आर. की प्रकृति।

अब तक की गई कार्यवाहियों से यह संकेत मिलता है कि मामले की पहले के मुकदमों में विभिन्न चरणों में जांच की गई है और यदि अपीलार्थी जिन आधारों पर प्रत्यर्थियों की कार्रवाई का आरोप लगा रहा था, उनकी गुण-दोष के आधार पर जांच की जानी थी, तो उन्हें न्यायालय के समक्ष मामले पर मुकदमा चलाने में अधिक परिश्रम करना चाहिए था। [पैरा 27] [1278-बी-सी]

8. विलम्ब और विलंब की क्षमा के मामले में, अच्छी तरह से स्वीकृत स्थिति यह भी है कि

विरोधी पक्ष से हल्के में नहीं निपटा जा सकता है। उस संबंध में, होने वाली कठिनाइयों पर ध्यान देने के बजाय

प्रत्यर्थी No.13, जिस बात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, वह है जिस तरीके से प्रत्यर्थी No.11-DMRC ने मामले में कार्रवाई की है। प्रतिवादी No.11-डीएमआरसी सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने में लगा हुआ है और उक्त उद्देश्य के लिए सरकार ने नीतिगत निर्णय के माध्यम से संपत्ति विकास के माध्यम से संसाधन उत्पन्न करने की मंजूरी दी है और उस संबंध में विकास किया जाता है। इसके अनुसार प्रत्यर्थी No.11 को रु। वर्ष 2008 में प्रतिवादी No.13 से 218.20 करोड़। जैसा कि संकेत दिया गया है, उक्त राशि का उपयोग आने-जाने वाली जनता को मेट्रो रेल सेवा प्रदान करने वाली परियोजनाओं के लिए किया जाता है। ऐसी स्थिति में, यदि इस स्तर पर अत्यधिक देरी को अनदेखा कर दिया जाता है जिस अभावपूर्ण तरीके से अपीलार्थी ने मामले में कार्यवाही की है, वह भी जनहित के विपरीत होगा। [पैरा 28] [1278-डी-एफ]

9. इसलिए, न केवल एकल न्यायाधीश को यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित ठहराया गया कि रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ विलंब और विलंब से प्रभावित है, बल्कि 916 दिनों की देरी के आधार पर एल. पी. ए. को खारिज करने में खंड पीठ का निर्णय भी न्यायोचित है और आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 29] [1278-एफ-जी]

कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग और अन्र। वी. काटीजी और ओआरएस। (1987) 2 एससीसी 107: [1987] 2 एस. सी. आर. 387; मेसर्स डेहरी रोहतास लाइट रेलवे कंपनी लिमिटेड v. जिला बोर्ड , भोजपुर और अन्य। (1992) 2 एससीसी 598: [1992] 2

एससीआर 155-प्रतिष्ठित।

पोस्टमास्टर जनरल और अन्य। वी. लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और एएनआर। (1992) 3 एस. सी. सी. 563; आदिल सिंह बनाम संघ

भारत का (2010) 171 डी. एल. टी. 748-संदर्भित।

दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

मामला कानून संदर्भ

(2010) 171 डीएलटी 748

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[1987] 2 एससीआर 387

प्रतिष्ठित

पै

रा 17

[1992] 2 एससीआर 155

प्रतिष्ठित

पै

रा 18

(1992) 3 एस. सी. सी. 563

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 9488

9489 2019 से।

उच्च न्यायालय के 29.10.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के एल. पी. ए. सं. 89 में 2018 के सी. एम. सं. 8654 में नई दिल्ली में दिल्ली का न्यायालय।

तुषार मेहता, एसजी, ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., मोहन परासरन,

रामजी श्रीनिवासन, अमन सिन्हा, श्याम दीवान, गुरुकृष्ण कुमार, आर. वेंकटरमानी, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मोहिंदर रूपल, प्रसन्ना एस., अनुराग ओझा, विष्णु कुमार, शांतनु सिंह, प्रवेश ठाकुर, सुश्री नूपुर सिन्हा, गौतम शिवशंकर तरुण जौहरी, एस. एस. रिबेला, सुश्री आकांक्षा कौल, डी. एल. चिदानंद, प्रभु सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, राज बहादुर, महेश अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, अनिरुद्ध भाटिया,

रोहन तलवार, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री बीनू टम्टा, प्रवीण स्वरूप, स्मारहर सिंह, आशुतोष ठाकुर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एस. बोपन्ना, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इन अपीलों को अपीलार्थी द्वारा प्राथमिकता दी गई है-विश्वविद्यालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पंजीयक के माध्यम से दिनांक 3 के सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती देने के लिए, जिसके तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के फैसले को चुनौती देने के लिए अपील दायर करने में 916 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दायर डब्ल्यू. पी. (सी) 2/2012 को खारिज कर दिया था।

3. रिट याचिका में चुनौती, अन्य बातों के साथ-साथ, थी

दिल्ली विकास प्राधिकरण (इसके बाद संक्षेप में "डी. डी. ए". के रूप में संदर्भित) का दिनांक 12.5.2011 का निर्णय जिसने अनुमति दी थी।

उत्तरदाता नं। 13 - मैसर्स यंग बिल्डर्स (पी) लिमिटेड विश्वविद्यालय परिसर में जोन-सी के नियंत्रण क्षेत्र में बिना किसी ऊंचाई प्रतिबंध के एक बहुमंजिला समूह आवास सोसायटी का निर्माण करेगा।

निर्माण [2019] 16 एस.

सी. आर.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

दिल्ली मेट्रो रेल को पट्टे पर दिए गए भूखंड पर अनुमति दी गई थी

एन (इसके बाद संक्षेप में "डीएमआरसी" के रूप में संदर्भित) द्वारा

कुल से एक अलग इकाई के रूप में 2 हेक्टेयर का पृथक्करण

मेट्रो स्टेशन के लिए अधिग्रहित भूमि।

की प्रमुख दलीलें

अपीलार्थी-विश्वविद्यालय

उनकी चुनौती इस प्रकार थीः

क) प्रत्यर्थी सं. 13 द्वारा मांगी गई अनुमति (अर्थात्,

मेसर्स यंग बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड) प्रस्तावित के लिए
भूमि पर समूह आवास सोसायटी का निर्माण

विश्वविद्यालय अंतःक्षेत्र एम. पी. डी.-2021 का उल्लंघन करता है और है
व्यापक लोकहित के विरुद्ध, इस तथ्य को देखते हुए कि

विचाराधीन परियोजना स्थल और इसके आसपास के क्षेत्र इसके भीतर हैं
विश्वविद्यालय का उत्तरी परिसर और इसमें शामिल हैं

विभिन्न ऐतिहासिक और पुरातात्विक इमारतों के अलावा
उच्च शिक्षा का केंद्र होने के नाते और

उन्नत शिक्षा; तथा

ख) विषय भूमि के स्वरूप में परिवर्तन है -

कानून में अस्वीकार्य, क्योंकि भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है
मेट्रो रेल के निर्माण के लिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए

परियोजना, अचानक निजी के लिए मोड़ दिया गया है

वाणिज्यिक उपयोग और निजी बिल्डर को नीलाम किया गया

एक विपरीत तरीके से एक समूह आवास समाज का निर्माण करना

दिल्ली के निगमन के उद्देश्य और चार्टर के लिए

मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी)

ग) मेट्रो स्टेशन के लिए कुछ विकास पर प्रतिबंध

दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 ('एम. पी. डी.') के तहत निर्धारित

संक्षेप में) भी रिट द्वारा उठाया गया एक विवाद था

याचिकाकर्ता जिसने उच्च के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया

दिल्ली विश्वविद्यालय के नियंत्रण क्षेत्र में इमारतों का निर्माण।

प्रस्तावित निर्माण स्थल के निकट था एक महत्वपूर्ण गोपनीयता चिंता के रूप में उजागर किया गया। द.

विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर दूसरा मुख्य था रिट याचिका में उठाया गया विवाद।

दूसरी ओर, डी. एम. आर. सी. ने अनुमान लगाया था कि

विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर, 2 हेक्टेयर भूमि अधिशेष और आवास परियोजना का उद्देश्य दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

सरकार की नीति के अनुसार डी. एम. आर. सी के लिए राजस्व। भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए अधिकारियों को औपचारिक आवेदन और आवासीय उपयोग के लिए भूमि के रूपांतरण के लिए सुरक्षित अनुमोदन भी था।

डी. एम. आर. सी. द्वारा प्रकाशित।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पूरे अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें

देरी और लैच की जमीन। तथापि, 27.04.2015 दिनांकित निर्णय में न्यायालय ने कहा कि डी. डी. ए. सूत्रीकरण का प्रमुख है और आवास परियोजना के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन और विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन लिए गए हैं। यह भी देखा गया कि आदिल सिंह बनाम भारत संघ (2010) 171 डी. एल. टी. 748 में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को स्वीकार करते हुए भूमि उपयोग को "सार्वजनिक" से "आवासीय" में बदलने की अनुमति है। रिट अदालत के अनुसार, चूंकि यह सरकारी निकाय द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय था और चूंकि अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने में किसी भी अवैधता, अनुचितता, दुर्भावना को प्रदर्शित करने में विफल रहा है, इसलिए नीति में न्यायालय का हस्तक्षेप है

निर्णय उचित नहीं होगा।

7. यह अपीलार्थी का मामला है कि रिट याचिका को खारिज करने और विषय भूमि के भविष्य में उपयोग के बारे में चिंतित होने के बाद, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया। 11.11.2016 पर प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के समक्ष और नियत समय के बाद रखा गया है।

रिपोर्ट और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर विचार करते हुए, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने अपने संकल्प दिनांक 28.02.2017/07.03.2017 के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक अंतर-न्यायालय अपील को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया।

8. जबकि उपरोक्त विचार-विमर्श चल रहे थे, सुलभता की चिंता

अनुमान के अनुसार, एल. पी. ए. No.89/2018 में अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए C.M.No.8654/2018 के साथ 916 दिनों की देरी के बाद 01.03.2018 पर अपील दायर की गई। 9. अपील को प्राथमिकता देने में 916 दिनों की देरी को विलंब माफी और निम्नलिखित प्रभाव के लिए उक्त आवेदन के जवाब के प्रत्युत्तर की मांग करने वाले आवेदन में समझाया गया था; [2019] 16 एस. सी. आर.

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा काफी देर से भेजा गया था और तब इसे मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय के कानूनी प्रकोष्ठ के समक्ष रखा गया था। गुजरने के बाद यह राय दी गई कि इस मामले को विचार के लिए कुलपति के पास भेजा जाए और इसके अनुसार एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस मामले से निपटने की आवश्यकता है।

समग्र रूप से, सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया और

उनके अर्थ। इस मुद्दे पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि कुलपति का पद डब्ल्यू. ई. एफ. 28.10.2015 खाली हो गया था और नए कुलपति के पदभार संभालने और चीजों का जायजा लेने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता था। आई. डी. 1 पर, नए कुलपति कार्यालय में शामिल हुए और विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने विश्वविद्यालय के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ संकाय व्यक्तियों की एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया। पाँच सदस्यीय समिति के संदर्भ की शर्तें, कार्रवाई की प्रक्रिया की सिफारिश करने के लिए थीं

डी. एम. आर. सी. मामले में विश्वविद्यालय द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज किए जाने के आलोक में विश्वविद्यालय।

दिल्ली की एस. आई. टी. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

11.11.2016 पर, उपरोक्त गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। पाँच सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान मामले की विषय वस्तु को अंतिम निर्णय के लिए विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को भेजा जाए। 28.02.2017 पर आयोजित कार्यकारी परिषद की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। आई. डी. 1 (निरंतर बैठक) पर आयोजित कार्यकारी परिषद की बैठक में इस विषय पर फिर से चर्चा की गई, जहां परिषद के सदस्यों ने अकादमिक परिषद और दोनों के पहले की चर्चाओं और निर्णयों का उल्लेख किया। एक ही मामले के संबंध में कार्यकारी परिषद और इसके खिलाफ अपील करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया

विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश दिनांक 27.04.2015 पर्याप्त तैयारी के बाद।

इस बीच, विकलांग छात्रों और शिक्षकों द्वारा आरक्षण को दृढ़ता से रखा गया था दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर निजी बिल्डर द्वारा प्रस्तावित परियोजना। इस तरह

व्यक्तियों और समूहों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिन पर विश्वविद्यालय को विचार करना था और इसलिए उन्हें विचार के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ को भेजा गया था। समान अवसर प्रकोष्ठ, दिल्ली विश्वविद्यालय, जो विकलांगों के कल्याण की देखभाल करता है

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 पर नए अधिनियम के आलोक में छात्रों और अन्य लोगों ने संभावित परिणाम का विश्लेषण किया। विस्तृत जानकारी के बाद विचार-विमर्श करते हुए, समान अवसर प्रकोष्ठ ने 28.04.2017 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सक्षम अधिकारियों के ध्यान में उनके विचार के लिए लाया गया था। रिपोर्ट पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया था

विश्वविद्यालय जिसमें डीन का कार्यालय, छात्र कल्याण, कानूनी मामलों का विभाग, प्रॉक्टर का कार्यालय, इंजीनियरिंग विभाग और पर्यावरण अध्ययन विभाग शामिल हैं। इन निकायों के बीच चर्चा और विचार-विमर्श करने और उनके सुझावों पर विचार करने में और समय लगता है और यह

विभिन्न के साथ समन्वय और बातचीत शामिल है अधिकारी और हितधारक। इन सभी अभ्यास में [2019] 16 एस. सी. आर. से पहले पांच से छह महीने की और अवधि शामिल थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचारशील राय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए समान अवसर प्रकोष्ठ के अभ्यावेदन और रिपोर्ट पर अंततः दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017 के अंत के आसपास विचार किया जा सकता है।

(v) मध्यावधि में, दिसंबर 2017 में छात्र मार्ग पर हुई दुर्घटनाओं के कारण

विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर के कार्यालय द्वारा दिनांक 05.02.2018 की एक रिपोर्ट तैयार करना जिसमें प्रॉक्टर इस क्षेत्र को दुर्घटना प्रवण घोषित करने की सिफारिश की गई। दोनों रिपोर्ट-एक समान अवसर प्रकोष्ठ द्वारा और दूसरी प्रॉक्टर के कार्यालय द्वारा-संबंधित वकील को भेजी गई थी जो अपील ज्ञापन तैयार करने के लिए संक्षिप्त जानकारी रख रहे थे।

इसके बाद कानूनी राय मांगी गई और मसौदा अपील और याचिका तैयार की गई जिसे बाद में वरिष्ठ वकील द्वारा जांचा और सुलझा लिया गया। इसके बाद अंतिम निर्णय लेने के लिए विश्वविद्यालय में उच्चतम स्तर पर अंतिम अपील पर फिर से विचार किया गया, जिसमें कुछ समय लगा। 01.03.2018 पर, LPA था

दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया।

10. हालांकि देरी से दाखिल करने के लिए उपरोक्त स्पष्टीकरण था

स्वीकार नहीं किया गया और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 29.10.2018 पर अपील के गुण-दोष पर विचार किए बिना एल. पी. ए. को देरी के आधार पर खारिज कर दिया। इस प्रकार, व्यथित अपीलार्थी-विश्वविद्यालय ने यह अपील दायर की है।

11. श्री मोहन परासरन, विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि योग्यता पर विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण विवाद पर विचार किए बिना रिट याचिका और एल. पी. ए. की अस्वीकृति का निहितार्थ सार्वजनिक संस्थान को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि विश्वविद्यालय के अधिकारी इस मुद्दे को उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन निर्णय सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद लिया जाना था और इसलिए, एल. पी. ए. को प्राथमिकता देने में देरी को किसी भी निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, बहुत कम जानबूझकर निष्क्रियता। श्री परासरन के अनुसार न्यायालयों का प्रयास गुण-दोष के आधार पर मामलों का निर्णय करके पक्षकारों के साथ पर्याप्त न्याय करना होना चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले में न तो विद्वान एकल न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थी-विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए तर्क के गुण-दोष पर विचार किया था। श्री परासरन का तर्क है कि "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति इतनी लोचदार है कि अदालतें एक सार्थक विश्वविद्यालय दिल्ली बनाम में सीमा के कानून को लागू करने में सक्षम हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

तरीके से। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि चूंकि बिल्डरों ने अभी तक अपना निर्माण शुरू नहीं किया है, इसलिए एल. पी. ए. दाखिल करने में देरी के परिणामस्वरूप गुण-दोष पर विवाद पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वर्तमान मामले में प्रमुख जनहित के मुद्दे उठाए गए हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि लोक हित को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को तकनीकी आपत्ति पर पराजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल मूल रूप से रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में था और भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सार्वजनिक खर्च पर किया गया था, लेकिन अब इसे लाभ उन्मुख उद्देश्य के लिए एक निजी बिल्डर को देने की मांग की जाती है। उक्त दलीलों के पूरक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. वेंकटरमानी और श्री रामजी श्रीनिवासन भी हैं। 12. आवेदकों/हस्तक्षेप करने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाली विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा प्रस्तुत करती हैं कि छह बालिका छात्रावास परियोजना स्थल के पास स्थित हैं और यदि ऊंचे अपार्टमेंट की अनुमति है।

निर्माण, छात्रावास के निवासियों की गोपनीयता से समझौता किया जाएगा। सुश्री अरोड़ा संयुक्त के 25.10.1943 दिनांकित पत्र का भी उल्लेख करती हैं।

सचिव, भारत सरकार, शिक्षा विभाग ने दिल्ली के मुख्य आयुक्त को संबोधित करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के निर्णय से अवगत कराया कि दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर के अंदर कोई ऊंची इमारतें नहीं बनाई जाएं और एक अंतःक्षेत्र के रूप में विश्वविद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा की आवश्यकता भी हो। इसके बाद वरिष्ठ वकील ने शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डीडीए की जोन-सी (सिविल लाइंस जोन) के लिए क्षेत्रीय विकास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि अधिकारियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर के भीतर औपनिवेशिक काल की पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की संख्या को मान्यता दी है और दिल्ली विश्वविद्यालय को एक एकीकृत क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए।

ऊँची इमारतों पर प्रतिबंध के साथ परिसर।

13. श्री श्याम दीवान, प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील No.13-मेसर्स यंग बिल्डर्स शुरू में तर्क देंगे कि हालांकि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने मामले के गुणागुण का उल्लेख किया है, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विलंब और विलंब के आधार पर एल. पी. ए. को खारिज कर दिया है, मामले के उस पहलू पर सीमा पर विचार करने की आवश्यकता होगी। वह इस बात पर जोर देंगे कि 916 दिनों की देरी ढाई साल से अधिक की अत्यधिक देरी है और ऐसी स्थिति में "पर्याप्त कारण" के लिए सामान्य परीक्षण को लागू करने का सिद्धांत उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि यह केवल क्षमा की आवश्यकता वाले दिनों की संख्या नहीं है, बल्कि रिट याचिका दायर करने के साथ-साथ एल. पी. ए. के बराबर भी है। केवल यह तर्क कि अपीलार्थी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही जनहित में है, मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश के पास [2019] 16 एस. सी. आर. है।

इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि याचिका में कोई योग्यता नहीं होने के अलावा अड़चनें भी हैं और

14. प्रतिवादी No.11-डी. एम. आर. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने तर्क दिया है कि शहरी विकास मंत्रालय ने भारत सरकार की नीति के रूप में डी. एम. आर. सी. को संपत्ति विकास के माध्यम से अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न करने की अनुमति दी थी और तदनुसार ऐसा करने की अनुमति दी है। सरकार द्वारा हस्तांतरित भूमि पर संपत्ति का विकास।

ऐसी स्थिति में जब डी. एम. आर. सी. ने न केवल तत्काल मामले में बल्कि कई अन्य परियोजनाओं में भी इस तरह के कदम उठाए हैं, तो इस स्तर पर कोई भी हस्तक्षेप विशेष रूप से जब वर्तमान प्रकृति की विलंबित चुनौती होती है, तो इसका शुरू की गई परियोजनाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यह प्रस्तुत किया गया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम में तरीके में प्रभावित कुछ परिवर्तनों के कारण।

भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

जिस मेट्रो रेल परियोजना को लागू किया जाना था, उसमें कुछ अतिरिक्त भूमि थी जिसका उपयोग परियोजना के लिए संसाधन उत्पन्न करने के लिए किया गया है और उस संबंध में जब प्रतिवादी के साथ संविदात्मक संबंध है, अगर इस स्तर पर बहुत देर से दायर याचिका पर विचार किया जाता है, तो एक बड़ा वित्तीय प्रभाव पड़ेगा जो सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाता है और ऐसी स्थिति में ऐसे मामलों में देरी को माफ नहीं करने से सार्वजनिक हित की बेहतर सेवा होगी। इसके अलावा, यह केवल एल. पी. ए. दाखिल करने में देरी का मामला नहीं है, बल्कि लापरवाही का एक गंभीर मामला है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह भी देखा जाता है कि रिट याचिका स्वयं 7-8 वर्षों के बाद दायर की गई थी और ऐसी स्थिति में यदि रिट अधिकार क्षेत्र में पारित विवेकाधीन आदेश इस न्यायालय के सीमित अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, तो यह एक खराब मिसाल कायम करेगा।

15. श्री ए. एन. एस. नंदकर्णी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, विलंब और विलंब के पहलू का भी उल्लेख करेंगे और विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा दी गई दलीलों के पूरक होंगे। वह आगे तर्क देंगे कि जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उसके मालिक होने के नाते भारत संघ को परियोजना और ऐसी स्थिति में कोई आपत्ति नहीं है

इसमें अपीलार्थी के आग्रह पर हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। सुश्री बीनू टम्टा, विद्वान वकील ने उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत किया।

16. श्री मोहन परासरन, विद्वान वरिष्ठ वकील, उक्त तर्क के जवाब में देरी के स्पष्टीकरण से संबंधित प्रस्तुत की गई दलीलों को दोहराएंगे और तर्क देंगे कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि रिट याचिका को झटका लगा था, गलत है क्योंकि प्रतिवादी ने स्वयं दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से एफ. ए. आर की सीमा के संबंध में कुछ विवादों को उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की थी और प्रतिवादी द्वारा ऐसी चुनौती No.13 पर समाप्त हो गई थी और एन. ओ. सी. आदि बाद में प्राप्त किए गए थे, जिसके बाद वर्ष 2012 में अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी। इसलिए देरी और अड़चनों को समझाया गया है और यह लापरवाही का मामला नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि डी. एम. आर. सी. का यह रुख कि उसे वित्तीय नुकसान होगा, इस बिंदु पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सवाल कि क्या वे ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे या नहीं, ऐसे मामले हैं जिन पर उचित कार्यवाही में विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय को देरी को माफ कर देना चाहिए था और मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था।

17. यद्यपि हमने पक्षकारों की दलीलों और दलीलों का समग्र रूप से उल्लेख किया है, जिसमें गुण-दोष पर प्रस्तुत दलीलें भी शामिल हैं, लेकिन यह केवल पूर्णता के लिए है और मामले को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विलंब और विलंब से संबंधित मुद्दे पर विचार करने से पहले। तत्काल मामले में, यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 916 दिनों की देरी के आधार पर एल. पी. ए. को खारिज कर दिया गया, मामले के उस पहलू पर शुरुआत में विचार करने की आवश्यकता होगी और गुण-दोष पर तथ्यों को यह पता लगाने के लिए सीमित सीमा तक नोट किया जाता है कि क्या उस पृष्ठभूमि में सार्वजनिक हित प्रभावित होगा। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय पर देरी को माफ करने के लिए "पर्याप्त कारण" पर विचार करने से संबंधित सिद्धांत और जिन कारकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उन पर जोर देने के लिए कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग और Anr.vs के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है। काटीजी और ओआरएस। , 1987 (2) एस. सी. सी. 107 जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया हैः

" 3. विधायिका ने देरी को माफ करने की शक्ति प्रदान की है

धारा 5 को अधिनियमित करके [इसके अलावा कोई भी अपील या कोई आवेदन।

आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के तहत एक आवेदन

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 को इसके बाद स्वीकार किया जा सकता है - यदि अपीलार्थी या आवेदक संतुष्ट करता है तो निर्धारित अवधि

अदालत ने कहा कि उसके पास अपील को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण था या ऐसी अवधि के भीतर आवेदन करना।] भारतीय का

सार्थक तरीका जो न्याय के उद्देश्यों को कम करता है कि न्यायालयों की संस्था के अस्तित्व के लिए जीवन-उद्देश्य होना। यह सामान्य ज्ञान है कि यह न्यायालय एक

इस न्यायालय में स्थापित मामलों में न्यायोचित रूप से उदार दृष्टिकोण। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि संदेश सभी तक नहीं पहुंचा है।

पदानुक्रम में अन्य अदालतें। और इस तरह का एक उदार दृष्टिकोण है सिद्धांत रूप में अपनाया गया क्योंकि यह महसूस किया जाता है किः

" 1. आम तौर पर एक वादी को याचिका दायर करने से लाभ नहीं होता है।

देर से अपील।

2. देरी को माफ करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप एक सराहनीय मामले को बहुत हद तक बाहर फेंक दिया जा सकता है और न्याय का कारण विफल हो सकता है। इसके विपरीत जब देरी को माफ कर दिया जाता है तो सबसे अधिक जो हो सकता है वह यह है कि पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोष के आधार पर एक कारण तय किया जाएगा।

3. " हर दिन की देरी को समझाया जाना चाहिए "इसका मतलब यह नहीं है कि एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए। हर घंटे की देरी, हर सेकंड की देरी क्यों नहीं?

सिद्धांत को दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

एक तर्कसंगत सामान्य ज्ञान व्यावहारिक में लागू किया जाए

तरीके से।

4. जब एक दूसरे के खिलाफ पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचार रखे जाते हैं, तो पर्याप्त न्याय के कारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि दूसरा पक्ष इन कारणों से किए जा रहे अन्याय में निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है -

एक गैर-जानबूझकर देरी।

5. ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि देरी हुई है

जानबूझकर, या दोषपूर्ण लापरवाही के कारण, या दुर्भावना के कारण। एक वादी को देरी का सहारा लेने से लाभ नहीं होता है। वास्तव में वह एक गंभीर जोखिम उठाता है।

6. यह समझना चाहिए कि न्यायपालिका का सम्मान तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की अपनी शक्ति के कारण नहीं किया जाता है, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अन्याय को दूर करने में सक्षम है और ऐसा करने की उम्मीद की जाती है।

इस दृष्टिकोण से न्याय उन्मुख दृष्टिकोण बनाते हुए, अपील की स्थापना में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण था। यह तथ्य कि यह "राज्य" था जो माफी मांग रहा था और एक निजी पक्ष नहीं था, पूरी तरह से अप्रासंगिक था। कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत की मांग है कि एक वादी के रूप में राज्य सहित सभी वादियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और कानून को समान तरीके से प्रशासित किया जाए। एक कदम के अनुसार कोई वारंट नहीं है-माँ जैसा व्यवहार जब

" "राज्य" वह आवेदक है जो विलंब की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है। वास्तव में अनुभव से पता चलता है कि एक अवैयक्तिक तंत्र के कारण (मामले के प्रभारी को सीधे तौर पर अपील के अधीन किए जाने वाले फैसले से प्रभावित या आहत नहीं किया जाता है) और विरासत में मिली नौकरशाही कार्यप्रणाली नोट बनाने, फाइल करने से ओत-प्रोत है।

नैतिकता को आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाना, इसकी ओर से देरी को समझना कम कठिन है, हालांकि इसे स्वीकार करना अधिक कठिन है। किसी भी मामले में

घटना, राज्य जो सामूहिक कारण का प्रतिनिधित्व करता है

समुदाय, एक वादी-गैर-अस्वीकार्य स्थिति के लायक नहीं है। इसलिए अदालतों को भावना के साथ सूचित किया जाना चाहिए और

"पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति की व्याख्या के दौरान प्रावधान का दर्शन। इसी तरह गुण-दोष पर निर्णय को बाधित करने वाले दृष्टिकोण की तुलना में गुण-दोष पर समान न्याय करने के लिए अंत में मामलों में इसके अनुप्रयोग में भी इसी दृष्टिकोण का प्रमाण दिया जाना चाहिए। वर्तमान अपील को जन्म देने वाले मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हुए, हम संतुष्ट हैं कि देरी के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है। द ऑर्डर ऑफ द हाई [2019] 16 एस. सी. आर.

इसलिए, न्यायालय द्वारा अपने समक्ष की गई अपील को समय-वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया जाता है। देरी को माफ कर दिया जाता है। और मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। उच्च न्यायालय अब दोनों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद योग्यता के आधार पर अपील का निपटारा करेगा।

पक्षों को "।

18. आगे मेसर्स डेहरी रोहतास लाइट वे कंपनी लिमिटेड के मामले में निर्णय। बनाम जिला बोर्ड, भोजपुर और अन्य। (1992)सी 598 पर भरोसा किया जाता है, जिसमें इस न्यायालय ने वास्तविक परीक्षण अवधि का संकेत दिया है कि विलंब यह है कि याचिकाकर्ता को अभियोग अधिकार बनाए जाने से पहले न्यायालय में आना चाहिए और यह कि समय बीतने का श्रेय नहीं दिया जा सकता है।

या लापरवाही।

19. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी No.13 के विद्वान वरिष्ठ वकील ने पोस्टमास्टर आरएल एंड ओआरएस के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है। बनाम। लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और एएनआर। 1992 (3)

563 जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया हैः

" 28. हालांकि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि देरी की माफी के मामले में जब कोई बड़ी लापरवाही नहीं हुई या

जानबूझकर निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी, पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए एक उदार रियायत को अपनाना होगा, हमारा विचार है कि तथ्यों और परिस्थितियों में, विभाग पहले के विभिन्न निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता है। उपयोग की जा रही और उपलब्ध आधुनिक तकनीकों को देखते हुए अवैयक्तिक तंत्र और कई नोट बनाने की विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सीमा का कानून निस्संदेह सरकार सहित सभी को बांधता है।

29. हमारे विचार में, सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और उपकरणों को सूचित करने का यह सही समय है कि जब तक उनके पास देरी के लिए उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है और ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया है, तब तक सामान्य स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रक्रिया में काफी हद तक प्रक्रियात्मक लालफीताशाही के कारण फाइल को कई महीनों/वर्षों तक लंबित रखा गया था। सरकारी विभाग एक विशेष के तहत हैं

यह सुनिश्चित करने का दायित्व कि वे परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। देरी की निंदा एक अपवाद है और सरकारी विभागों के लिए प्रत्याशित लाभ के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी को एक ही प्रकाश में आश्रय देता है और

इसे कुछ लोगों के लाभ के लिए घुमाया नहीं जाना चाहिए।

20. ऊपर उद्धृत निर्णयों के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर विचार करने से स्थिति स्पष्ट है कि, कुल मिलाकर, एक उदार विश्वविद्यालय दिल्ली बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

देरी को माफ करने के मामले में दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। देरी को माफ करने के लिए विचार पक्ष की स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा, अर्थात् सरकार या सार्वजनिक निकाय, ताकि एक अलग मानदंड लागू किया जा सके, लेकिन अंतिम विचार पक्षकारों को समान रूप से न्याय प्रदान करना होना चाहिए। ऐसे मामले में भी लंबी देरी की माफी स्वचालित नहीं होनी चाहिए क्योंकि उपार्जित अधिकार या विपरीत पक्ष के प्रतिकूल परिणाम को भी परिप्रेक्ष्य में रखा जाना चाहिए। उस पृष्ठभूमि में देरी को माफ करने पर विचार करते समय, नियमित स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन यह देरी को सही ठहराने के लिए "पर्याप्त कारण" का संकेत देने की प्रकृति का होना चाहिए जो प्रत्येक मामले की पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा और तथ्य स्थिति के आधार पर न्यायालयों द्वारा सावधानीपूर्वक तौलना होगा। कटिजी (सुप्रा) के मामले में देरी की माफी से संबंधित पूरे पहलू पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तथापि, जिस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि उस मामले में विलंब की माफी की मांग करने वाले आवेदन को खारिज करने की पृष्ठभूमि में विचार किया गया था, जहां मुआवजे की राशि में प्रति माह 800 की वृद्धि के संबंध में गुण-दोष के आधार पर किए जाने वाले संशोधन के खिलाफ विचार करने में चार दिन की देरी की गई थी।

प्रतिशत।

21. इसके विपरीत, एल. पी. ए. दाखिल करने में तत्काल तथ्यों में देरी 916 दिनों की है और इस तरह माफ करने के लिए विचार किया जा सकता है

यह केवल तभी किया जाता है जब उचित स्पष्टीकरण हो और माफी केवल इसलिए नहीं हो सकती कि अपीलार्थी सार्वजनिक निकाय है। ऊपर देखी गई पूरी व्याख्या, कानून की स्थिति से अवगत होने के बावजूद सीमा के कानून की परवाह किए बिना आकस्मिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसके अलावा जब इतनी लंबी देरी होती है और कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं होता है, तो यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि किसी पक्ष ने अपील दायर करने से पहले किस तरह से आगे बढ़ा है। इसके अलावा तत्काल तथ्यों में न केवल तत्काल अपील को खारिज करने की मांग करने वाले प्रतिवादियों की ओर से अपील दायर करने में देरी और विलंब का तर्क दिया गया है, बल्कि यह भी तर्क दिया गया है कि पहली बार में ही रिट याचिका दायर करने में देरी हुई थी जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न हुई थी। उस दृष्टिकोण से, हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम मामले के उन पहलुओं का विज्ञापन करें और रिट याचिका के साथ-साथ एल. पी. ए. में किए गए विचार की प्रकृति पर ध्यान दें ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या उच्च न्यायालय उचित था।

22. 916 दिनों की अत्यधिक देरी का पूरा स्पष्टीकरण दोगुना है, अर्थात कुलपतियों की अनुपलब्धता के कारण

सेवानिवृत्ति और नए कुलपति की बाद में नियुक्ति, यह भी कि मामला कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा गया था और एक निर्णय [2019] 16 एस. सी. आर.

अपील दायर करने के लिए लिया गया था और उक्त प्रक्रिया के कारण देरी हुई थी। जैसा कि कहा गया है, कारण बहुत विश्वसनीय नहीं प्रतीत होते हैं क्योंकि स्थिति अपीलीय उपचार का लाभ उठाने की थी, न कि मूल कार्यवाही जिसके लिए इस तरह के विचार-विमर्श की आवश्यकता थी, जबकि यह केवल उन कार्यवाहियों की निरंतरता थी जो उचित विचार-विमर्श के बाद अपीलार्थी की ओर से पहले ही दायर की जा चुकी थीं। उल्लेखनीय है कि कुलपति, जो रिट याचिका दायर किए जाने, मुकदमा चलाए जाने और निपटारे के समय शीर्ष पर थे, लगभग छह महीने तक उसी कार्यालय में उपलब्ध थे, जो अपील दायर करने के लिए 30 दिनों की सीमा अवधि की तुलना में काफी लंबी अवधि थी। उस में

ऐसी परिस्थिति में जब रिट याचिका पर मुकदमा चलाने वाले उक्त कुलपति उपलब्ध थे, तो अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का यह निवेदन भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अनदेखे हाथों से अपील दायर करने में बाधा आई होगी। दूसरा, कार्यकारी परिषद द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के बारे में जो कारण सामने रखने की मांग की गई है, वह भी स्वीकार्य नहीं है, जबकि यह केवल अपील दायर करने का मामला था। वास्तव में, रिट याचिका में अकादमिक परिषद के प्रस्ताव No.56 और 173 का उल्लेख करते हुए एक हलफनामा दायर किया गया था और

कार्यकारी परिषद रिट याचिका दायर करने के लिए प्राधिकृत करती है। जब रिट याचिका ऐसे प्राधिकरण और अपीलार्थी के रुख के आधार पर दायर की गई थी, जैसा कि रिट याचिकाकर्ता को सामने रखा गया था और वह रिट याचिका में विफल रहा था, तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी सभी साधनों के साथ अपील दायर करने में असमर्थ था, वह भी जब वही कुलपति रिट याचिका खारिज होने के बाद छह महीने के लिए उपलब्ध थे। इसलिए हमारी राय में सामने रखे गए कारण पर्याप्त कारण नहीं हो सकते हैं।

23. इसके अलावा, जैसा कि एल. पी. ए. में डिवीजन बेंच द्वारा सही देखा गया है, कार्यकारी परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया गया था

28.02.2017 / 07.03.2017 , अपील अंततः उक्त तिथि से एक वर्ष के बाद 01.03.2018 पर दायर की गई थी जो केवल आकस्मिक दृष्टिकोण को इंगित करता है जिसे अब हर स्तर पर देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं होने के बावजूद जनहित की याचिका के साथ दूर करने की मांग की जाती है। यह सच है कि जैसा कि एम. एस. टी. के मामले में हुआ था। काटीजी (ऊपर) कि हर दिन

देरी को इतनी सटीकता के साथ समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि एक उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है। डिवीजन बेंच ने इन पहलुओं पर ध्यान देने के अलावा यह भी नोट किया था कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी रिट याचिका को देरी और अड़चनों से प्रभावित पाया था।

24. उस पृष्ठभूमि में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 27.04.2015 के आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने पहले के अवलोकन के संदर्भ में आदेश के पैरा-65 में दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिका विलंब से ग्रस्त है और 7-8 साल की देरी के साथ दायर की गई है। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस तरह के निष्कर्ष को खारिज करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 13 स्वयं प्रतिबंधित एफ. ए. आर. द्वारा व्यथित होकर एक रिट याचिका दायर की गई थी और उक्त रिट याचिका का निपटारा केवल 18.05.2011 पर किया गया था और इसके बाद ही अपीलार्थी को रिट याचिका दायर करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। यदि पूरे अनुक्रम पर ध्यान दिया जाए तो उक्त तर्क भी स्वीकार्य नहीं है।

25. उस संबंध में इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि प्रतिवादी संख्या 13 ने डी. डी. ए. के निर्णय से व्यथित होकर दायर किया था।

डब्ल्यू. पी. No.3135/2010 वाली एक याचिका जिसमें 19.08.2009 दिनांकित पत्र का आरोप लगाया गया था और उसका निपटारा केवल 18.05.2011 पर किया गया था, लेकिन अपीलार्थी कमियों की व्याख्या करने के लिए उसी के तहत शरण नहीं ले सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उक्त पुल से पहले पुल के नीचे बहुत पानी बह चुका था। विकास और उन घटनाओं को चुनौती देने में अपीलार्थी से कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी, विशेष रूप से तब जब उसी विषय से संबंधित अन्य मुकदमे थे, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में देखा गया था।

26. वर्तमान मामले में, भूमि को 2005 में आवासीय उपयोग में परिवर्तित कर दिया गया था और प्रतिवादी No.11-DMRC ने बोलियां और जनता को आमंत्रित किया था

नीलामी 28.07.2008 पर आयोजित की गई थी, जिसने पहली बार अपीलार्थी को जागृत किया होगा क्योंकि भूमि को आवासीय विकास में परिवर्तित करने का तथ्य सार्वजनिक क्षेत्र में था, भले ही यह माना जाता है कि डी. एम. आर. सी. के अनुमोदन अनुरोध पर डी. डी. ए. द्वारा अनुमोदन की पूर्व प्रक्रिया आदि आंतरिक प्रक्रिया है और अपीलार्थी को इसकी जानकारी नहीं है। वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यहां अपीलार्थी द्वारा उठाई गई चुनौती पर ध्यान देते हुए मेट्रो यात्रियों के संघ द्वारा दायर डब्ल्यू. पी. (सी) No.8675/2011 वाली एक पूर्व याचिका पर भी ध्यान दिया है, जिसमें आवासीय विकास भी एक मुद्दा था, जिसे दिनांक 14.02.2011 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसी तरह, डब्ल्यू. पी. (सी) No.6624-6625/2012 में एक और याचिका, हालांकि अधिग्रहण को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, उसे भी खारिज कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2012 में दायर अपीलार्थी की रिट याचिका तब तक लंबित थी जब तक कि इसे 27.04.2015 पर निपटाया नहीं गया।

27. वर्ष 2005 में शुरू हुई कुछ कार्रवाइयों के संबंध में देर से दायर की गई रिट याचिका के बावजूद और यहां तक कि

हालांकि रिट याचिका कार्यकारी परिषद की मंजूरी प्राप्त करने के बाद दायर की गई थी, लेकिन रिट याचिका के निपटारे के बाद 916 दिनों के लिए रिट अपील दायर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसी स्थिति में, [2019] 16 एस. सी. आर.

देरी और लैच के संचयी प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि सुप्रा द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों को वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके तहत विचार केवल अपील दायर करने में कुछ दिनों की देरी का स्पष्टीकरण नहीं था। यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि विलंब को माफ किया जाना आवश्यक है क्योंकि इसमें लोक हित शामिल है, लेकिन अब तक हुई कार्यवाहियों की प्रकृति से यह संकेत मिलता है कि मामले की पहले के मुकदमों में विभिन्न चरणों में जांच की गई है और यदि अपीलकर्ता जिन आधारों पर प्रत्यर्थियों की कार्रवाई पर आरोप लगा रहा था, उनकी योग्यता के आधार पर जांच की जानी थी, तो उन्हें न्यायालय के समक्ष मामले पर मुकदमा चलाने में अधिक परिश्रम करना चाहिए था।

28. विलम्ब और बाधाओं को माफ करने के मामले में, अच्छी तरह से स्वीकृत स्थिति यह भी है कि विरोधी पक्ष का अर्जित अधिकार

इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस संबंध में, प्रत्यर्थी No.13 को होने वाली कठिनाइयों पर ध्यान देने के बजाय, जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया गया है, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, वह तरीका है जिसमें प्रत्यर्थी No.11-DMRC ने मामले में आगे बढ़ना शुरू किया है। प्रतिवादी No.11-डी. एम. आर. सी. सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने में लगा हुआ है और उक्त उद्देश्य के लिए सरकार ने नीतिगत निर्णय के माध्यम से संपत्ति विकास के माध्यम से संसाधन उत्पन्न करने की मंजूरी दी है और इस संबंध में जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, विकास किया जाता है। इसके अनुसार प्रत्यर्थी No.11 को रु। वर्ष 2008 में प्रतिवादी No.13 से 218.20 करोड़। जैसा कि संकेत दिया गया है, उक्त राशि का उपयोग आने-जाने वाली जनता को मेट्रो रेल सेवा प्रदान करने वाली परियोजनाओं के लिए किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में, यदि इस स्तर पर अत्यधिक विलंब को अपीलार्थी द्वारा मामले में जिस अभावपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया गया है, उसकी परवाह किए बिना माफ कर दिया जाता है, तो यह भी जनहित के विपरीत होगा।

यह अभिनिर्धारित करना न्यायोचित था कि रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ विलंब और बाधाओं से प्रभावित है, लेकिन 916 दिनों की देरी के आधार पर एल. पी. ए. को खारिज करने में खंड पीठ का निर्णय भी न्यायोचित है और आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 30. तदनुसार, योग्यता से रहित होने के कारण अपीलों को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

कल्पना के. त्रिपाठी